जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्रः करौंदा नाला इमलिया, जबलपुर, पो.बाक्स 2, अधारताल, जबलपुर

दूरभाष पी0 बी0 एक्स. 6499545, 6499627, फैक्स : 0761-2353150

Certified No 003

ई मेलः– [illegible]

GST NO : [illegible] PAN: [illegible]

क्र0 076/जेएसडीईएस/परिवहन/ 2019 दिनांक– 21.10.2019

<u>शक्कर परिवहन हेतु द्वितीय अल्पकालीन" ई–निविदा आमंत्रण"</u>

नवलनगर शक्कर कारखाना बुरहानपुर से प्रतिवर्ष लगभग 500 मैट्रिक टन शक्कर मुख्य संयंत्र जबलपुर के भण्डार तक परिवहन करने हेतु दर प्रतिटन आधार पर दिनांक 5. 11.2019 तक ऑन लाईन वेबसाइट http://www.mpeproc.gov.in के माध्यम से द्वितीय आमंत्रित की जाती है।

अन्य विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://www.mpcdf.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

E-Tender Detailes – Creation

Tender level Details			
Tender No :*	-	Tender Creation Date and Time:*	-
NIT No:*	76/22.10.2019	Tile:*	Tender Notification
Notice Invited for:*	Tender	Stage:*	
Tender call:*	2st	Currency:*	Indian Rupee
Email:*	-	Division/Basin:*	-
District:*	Jabalpur	Vendor Class:*	-
Tender Category:*	Services	Tender Sub category:*	-
Period of Completion (In months) :*	-	Tender Type:*	-
Form Of Contract:*	General	SOR:*	-
Name of Work:*	Transportation of Sugar from Burhanpur to Jabalpur	Work No. :*	1
Tender Fee Details			
Probable Amount of:* Contract (PAC) in:*	0	EMD in:*	20,000.00
Cost of document in:*	1,000/-	Processing Fee in:*	-
Important Dates			
Purchase of Tender Start date:*	23/10/2019 11:00 AM	Pre bid meeting Date and Time:*	-
Purchase of Tender End Date:*	05/11/2019 4:00 PM	Bid Submission End Date:*	-
Tender Open Date:*	06/11/2019 04:00 PM	-	-

* Mandatory field

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
करौदा नाला, इमलिया कटनी रोड जबलपुर (म.प्र.)

—:: निविदा प्रपत्र ::—

1. शक्कर कारखाना, नबलनगर, बुरहानपुर से मुख्य संयंत्र, जबलपुर भंडार तक शक्कर परिवहन करना।
2. निविदाकार का नामः— ....
   .... ।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्यः— रूपये एक हजार मात्र नगद (1000/— रू. नगद)
4. निविदा क्रय करने की दिनांकः— निविदा प्रकाशन से दिनांक 05.11.2019 शाम 04:00 बजे तक
5. निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समयः— दिनांक 05.11.2019 दोपहर 03:00 बजे तक।
6. निविदा खुलने का दिनांक एवं समयः— 06.11.2019 दोपहर 3:00 बजे।
7. निविदा खोलने का स्थानः— कार्यालय जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर।
8. व्यवहार हेतु पताः— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर — 482004 ।
9. किसी भी फर्म द्वारा एक से अधिक निविदा जमा करना मान्य नहीं है।

नोटः— सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि (EMD) ऑनलाइन माध्यम से ही भेजा जावे एवं भौतिक रूप से प्राप्त EMD को निरस्त समझा जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,जबलपुर

❨ निविदा प्रस्तुती सम्बन्धी सामान्य नियम ❩

1. शक्कर कारखाना, नवलनगर, बुरहानपुर से शक्कर लोड किया जाकर मुख्य संयंत्र जबलपुर भंडार तक परिवहन किया जाना है परिवहन करने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ताओं से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसकी शर्ते निम्नानुसार है :–

(1) प्रत्येक निविदा के साथ EMD रू. 20,000/- ऑनलाइन माध्यम से ही भेजा जावे बिना EMD जमा के प्रस्ताव को निरस्त माना जावेगा।

(2) निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के लिये एकांकी स्वामी/व्यापार संस्था सोल प्रोप्रायटर कर्सन संयुक्त हिन्दु परिवार अथवा भागीदार कार्य/पार्टनर शिप फर्म म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति/भार संस्थापित समिति/प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी हो सकती है। वाहन के कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा भाव पत्र नहीं खोला जावेगा तथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी। वाहन उपलब्धता के आधार पर निविदा एक या एक से अधिक वाहनों हेतु दी जा सकती है।

(3) यदि उपरोक्त तिथि को आंकस्मिक कारण से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय जहां निविदायें खोली जाना है। अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो निविदायें अवकाश की तिथि के बाद आने वाले कार्य दिवस को खोली जावेगी।

(4) परिवहन के दौरान वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने, शक्कर चोरी होने या अन्य किसी तरह की दुर्घटना से होने वाले नुकसान की संपूर्ण जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

(5) निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने पर आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर शक्कर परिवहन हेतु रू. 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वच्छ प्रतियों मे अनुबंध टंकण कराकर मूल अनुबंध कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा, एवं निर्धारित सुरक्षा राशि रू. 2.00 लाख जमा करनी होगी। सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(6) निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने पर उसे वाहन के साथ चलने वाले चालक–परिचालक की व्यक्तिगत जानकारी, ड्रायविंग लाईसेंस, मोबाईल नम्बर, पासपोर्ट साईज फोटो संघ कार्यालय मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वाहन चालक को बिना उचित कारण पृथक नहीं किया जाएगा, यदि वाहन चालक को हटाना आवश्यक है तो संघ से पूर्व अनुमति/सूचना आवश्यक होगी।

(7) निविदा स्वीकृत होने, कार्य प्रारंभ करने के दौरान यदि अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन करने पर हुई हानि की वसूली प्रथमतः उनके देयक/प्रतिभूति राशि से, पश्चात् अमानत राशि से की जाएगी। शेष बचने पर कानूनी प्रक्रिया से वसूल की जावेगी। ठेकेदार को हटाया जा सकेगा।

(8) परिवहन ठेकेदार आगे कार्य करना नही चाहता है तो लिखित में एक माह की अग्रिम सूचना देकर संघ की आगामी व्यवस्था उपरांत परिवहन कार्य छोडने हेतु स्वतंत्र रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा भी एक माह की सूचना देकर बगैर किसी कारण बताए कार्य पृथक किया जा सकेगा।

(9) स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता अनुसार दुग्ध संघ की मांग पर जो मौखिक होगी, वाहन समय पर उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा प्रबंधन द्वारा बाजार से किसी भी दर पर अन्य वाहन उपलब्ध कर माल पहुंचाया जावेगा तथा उसके दर की अन्तर की राशि परिवहनकर्ता के देयक/सुरक्षा निधि से वसूली जावेगी।

(10) निविदाकार अपने वाहन के ईंधन, डीज़ल व अन्य सभी खर्च के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा। टोल टेक्स का भुगतान परिवहनकर्ता को पृथक देय नहीं होगा।

(11) निर्देशानुसार वाहन पर साँची की पेंटिंग निर्धारित डिज़ाईन अनुसार, सूचित समयावधि में परिवहनकर्ता द्वारा करवानी होगी।

(12) निविदा स्वीकृत करना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के स्वविवेक पर निर्भर होगा तथा न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार न करने अथवा किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(13) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा की स्वीकृति ही निविदाकार एवं जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर के बीच अनुबंध का गठन माना जावेगा एवं दोनों पक्षों के इकरारनामें के संपादन की आवश्यकता अनिवार्य होगी, साथ ही कार्य अवधि के दौरान प्रबंध द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश/सूचना पत्र भी अनुबंध का अंग माने जावेगे।

(14) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यदि निविदा में प्राप्त हुई दरें उचित नहीं प्रतीत होती है तो वे निविदा खोलने के दिन अथवा कोई अन्य तिथि निर्धारित कर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों से निगोसियेशन कर सकते है।

(15) यदि निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है तो EMD की राशि राजसात कर ली जावेगी।

(16) परिवहनकर्ता को प्रत्येक वाहन में तत्काल जी.पी.एस सिस्टम लगाना आवश्यक है। यदि वाहन जी.पी.एस सिस्टम परिवहनकर्ता द्वारा नहीं लगाया गया है तो दुग्ध संघ द्वारा लगा दिया जावेगा और इसकी राशि परिवहनकर्ताओं के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

(17) परिवहनकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित मार्ग अनुसार सामग्री गतंव्य स्थानों पर पहुंचाकर संघ के निर्धारित प्रारूप मे पावती रसीद प्रस्तुत करने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा।

(18) देयकों का भुगतान 15 दिवसों मे किया जावेगा। विवाद की स्थिति में देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

(19) वाहन 2014 के मॉडल एवं उसके बाद का अच्छी कंडीशन का होना चाहिये। दुग्ध चूर्ण परिवहन के दौरान उसको त्रिपाल से अच्छी तरह बंद करके करना होगा जिसको उससे पानी व धूल से बचाया जा सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
तकनीकी प्रपत्र– ब

1. निविदाकार का नाम — — — — — — — — — — — — —
   (पिता के नाम सहित)
2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता — — — — — — — — — — — — —
   — — — — — — — — — — — — —
   — — — — — — — — — — — — —
3. कार्यालय का पता — — — — — — — — — — — — —

   (अ) दूरभाष / मोबाईल नम्बर

   (ब) E-Mail
4. निविदा के साथ जमा राशि विवरण — — — — — — — — — — — — —
5. PAN No. — — — — — — — — — — — — —
   (छायाप्रति अपलोड करे)
6. TIN No. यदि है तो — — — — — — — — — — — — —
   (छायाप्रति अपलोड करे)
7. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं. — — — — — — — — — — — — —
   (छायाप्रति अपलोड करे)
8. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो — — — — — — — — — — — — —
   (पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करे)
9. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार — — — — — — — — — — —
   (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

एतद् द्वारा मै / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे / हमारे पूर्ण जानकारी अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये है। मैने / हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निबंधन एवं शर्तो तथा सूचीं को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे / हमें मान्य है।

स्थानः–
दिनांक :– —आवेदक—

निविदाकार (निविदाकार के हस्ता.)

प्रति, दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.
जबलपुर

विषय :– शक्कर परिवहन हेतु दर प्रस्तुत करने बाबद।

महोदय,

जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर के द्वारा आमंत्रितं ''ई–निविदा'' के अनुसार नवलनगर, शक्कर कारखाना, बुरहानपुर से संघ के मुख्य संयंत्र जबलपुर तक शक्कर परिवहन की प्रतिटन दर रू. ....(शब्दो में ....)

नोट :–

(1) संबंधित मार्ग पर आने वाले टोल शुल्क की राशि पृथक से नहीं दी जावेगी।
(2) प्रस्तुत की जाने वाली दरें लोडिंग एवं अनलोडिंग के व्यय को सम्मिलित कर प्रस्तुत करना है।
(3) प्रस्तुत दरों मे सभी कर एवं टोल टेक्स सम्मिलित होना चाहिये।

उपरोक्त परिवहन निविदा मे समस्त शर्ते मेरे/हमारे द्वारा पढ़ कर समझ ली गई है, जो हमे मान्य है।

धन्यवाद।

हस्ताक्षर

(नाम स्पष्ट शब्दों मे)

शक्कर परिवहन हेतु अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक .... को प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया जा रहा है–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर **(प्रथम पक्ष)**

एवं

मेसर्स / .... (प्रोप्रा.)–........................... S/O --------------------- पता–........... .... मो.न.– ....(द्वितीय पक्ष)

<u>अनुबंध की शर्ते निम्नानुसार रहेंगी</u> :–

1. यह अनुबंध दिनांक ....से दिनांक .... तक प्रभावशील रहेगा।
2. नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना बुरहानपुर से जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, करौंदा नाला इमलिया मोड़, कटनी रोड़ पर स्थित संयंत्र तक शक्कर परिवहन कर पहुंचाने संबंधी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष को करना बंधनकारी होगा।
3. शक्कर के बैग निर्धारित स्थान से उठाकर गन्तव्य स्थल पर उतारने तक की समस्त जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
4. प्रथम पक्ष के अधिकृत अधिकारी के समस्त मौखिक एवं लिखित आदेशों का पालन करना द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी।
5. प्रथम पक्ष की मांग पर तत्काल वांच्छित परिवहन क्षमता का वाहन उपलब्ध कराने की जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
6. परिवहन के दौरान वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने, शक्कर चोरी होने या अन्य किसी तरह की घटना से होने वाले नुकसान की संपूर्ण जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
7. द्वितीय पक्ष की यह जबावदारी होगी कि 30 किमी. प्रतिघंटा दूरी के मान से शक्कर गन्तव्य तक पहुंचाना होगा।
8. वाहन के सभी प्रकार के रख–रखाव एवं होने वाले अन्य व्ययों की जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
9. द्वितीय पक्ष की यह जबावदारी होगी कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदाय शक्कर का ही परिवहन किया जावेगा किसी प्रकार की अन्य सामग्री वाहन में पाये जाने पर उस तिथि के परिवहन देयक की राशि का कटौत्रा प्रथम पक्ष द्वारा कर लिया जावेगा।
10. द्वितीय पक्ष के द्वारा परिवहन हेतु भेजे जाने वाले स्टॉफ द्वारा संघ के कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना होगा किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा।
11. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन की मांग करने पर द्वितीय पक्ष द्वारा तत्काल निर्धारित क्षमता का वाहन उपलब्ध कराना होगा अनुपलब्धता की दशा में प्रथम पक्ष द्वारा लगाये गये अन्य वाहन का जो भी किराया होगा उस राशि की भरपाई प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के देयक से करने हेतु स्वतंत्र होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा भुगतान प्राप्ति हेतु प्रस्तुत देयकों का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा एक माह के अंदर किया जावेगा। अपरिहार्य कारणों से समयसीमा में भुगतान नहीं होने पर द्वितीय पक्ष किसी भी तरह के ब्याज का हकदार नहीं होगा।
13. अनुबंध अवधि में द्वितीय पक्ष की मृत्यु होने पर उसके द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार प्राप्त व्यक्ति के नाम से नियमों का पालन करने पर अनुबंध हस्तांतरित करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।

14. अनुबंध अवधि में यदि प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष से किसी कारणवश सेवा लेने एवं देने में असमर्थ है ऐसी दशा में दोनों ही पक्ष एक माह पूर्व नोटिस देकर सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगें।
15. द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के पास बतौर अमानत राशि के रूप में रू. 2,00,000=00(दो लाख मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा जिसकी वापसी अनुबंध समाप्ति पश्चात् की जावेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
16. सभी प्रकार के वैधानिक एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियमों का पालन करना द्वितीय पक्ष को अनिवार्य होगा, किसी भी तरह की अनियमितता हेतु द्वितीय पक्ष स्वयं जबावदेह होगा।
17. अनुबंध अवधि के दौरान शर्तो में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
18. दोनों पक्षों की सहमति से एक वर्ष उपरांत इस अनुबंध अवधि में एक वर्ष और वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
19. द्वितीय पक्ष परिवहन प्रारंभ दिनांक से शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर जैसे – सेवा कर, सफाई कर एवं भविष्य में लगने वाले अन्य करों का प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के देयकों से कटौत्रा कर शासन के खजाने में जमा करेगा, जिस हेतु द्वितीय पक्ष अपनी सहमति देते हुए स्वीकार करेगा।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये समस्त वाहनों का काम्प्रीहेन्सिव बीमा होना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदाय किये गये वाहनों का आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित समस्त दस्तावेज जैसे – टैक्स, फिटनेस, परमिट, वाहन चालक का लाइसेंस, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार पूर्ण कराने की जबावदारी भी द्वितीय पक्ष की ही होगी जिस हेतु प्रथम पक्ष किसी भी तरह का जबाबदेह नहीं होगा।
21. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दर रु................. प्रति मी.टन पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु बंधनकारी होगा।
22. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध वाहनों के स्टॉफ के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
23. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन पॉलीथिन, तिरपाल आदि से ढके होना अनिवार्य होंगे। परिवहन के दौरान शक्कर के बैग गीले होने/बैग फटने आदि पर परिवहन किये जा रहे शक्कर की सम्पूर्ण राशि का कटौत्रा द्वितीय पक्ष के देयकों से करने का अधिकार प्रथम पक्ष के पास निहित होगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों के विवाद का निराकरण करने हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल बतौर आर्बीट्रेटर होंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य करना बंधनकारी होगा साथ ही समस्त विवादों के प्रसंग में न्यायिक क्षेत्र जबलपुर सहकारी न्यायालय रहेगा।

यह अनुबंध आज दिनांक को उभय पक्षों ने आपसी सहमति के आधार पर दुग्ध संघ कार्यालय मे हस्ताक्षर किये गये।

(प्रथम पक्ष)	**(द्वितीय पक्ष)**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या जबलपुर	(..)

गवाह प्रथम पक्ष	**गवाह द्वितीय पक्ष**
1. हस्ताक्षर	1. हस्ताक्षर
नाम – – – – – – – –	नाम – – – – – – – –
पिता – – – – – – – –	पिता – – – – – – – –

पता	— — — — — — — —	पता	— — — — — — — —
	— — — — — — — —		— — — — — — — —
2. हस्ताक्षर		2. हस्ताक्षर	
नाम	— — — — — — — —	नाम	— — — — — — — —
पिता	— — — — — — — —	पिता	— — — — — — — —
पता	— — — — — — — —	पता	— — — — — — — —
	— — — — — — — —		— — — — — — — —

❖❖❖